

कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, अजमेर

क्रमांक:- 3/984

दिनांक-3/10/25

श्री पुष्कर मेला 2025 में पोर्टल पर प्लॉट आवेदन हेतु दिशा-निर्देश

- यह ऑनलाइन पोर्टल केवल अश्ववंश के आवेदन के लिए ही है।
- ऑनलाइन एन्ट्री सही एवं सत्य भरें एवं ध्यान पूर्वक भरें।
- पशुपालक की पहचान के लिए आधार कार्ड/डाइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करें।
- पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं सक्षम अधिकारी से पोर्टल पर दिये फॉर्मेट में ही बनवाएँ।
- (पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड करें।)
- पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में वर्णित संख्या के आधार पर ही प्लॉट का चयन करें।
 - सेक्टर A, B, E, F, G, I & K के प्लोट 6 से 10 अश्ववंश के लिए है।
 - सेक्टर C, D, H & J के प्लोट 1 से 5 अश्ववंश के लिए है।
- आपके ऑनलाइन आवेदन का पशु पालन विभाग अजमेर द्वारा गठित कमेटी द्वारा परिक्षण किया जाएगा।
- त्रुटि पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं इसकी सूचना आपके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इसी स्थिति में आवेदन पुनः करना होगा।
- पशुधन की आगमन तिथि 20.10.2025 से 07.11.2025 तक होनी चाहिए।
- आपके आगमन की दिनांक पर नहीं आने पर 48 घंटे पश्चात आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की सहायता के लिए (jd[dot]ajm[dot]ah[at]rajasthan[dot]gov[dot]in) / 0145 - 2772157 सूचित करें। कमेटी के द्वारा जवाब दिया जाएगा।
- किसी भी प्रकार का वाद का क्षेत्राधिकार अजमेर रहेगा।
- ग्लैंडर्स एंड फ़ारसी एक्ट की गाइडलाइन्स के अनुसार इस रोग से प्रभावित क्षेत्र की 25 किमी परिधि के अश्व वंश को मेले में प्रवेश कि अनुमति नहीं दी जाएगी।

(डॉ. सुनील धीया)

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग, अजमेर